राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:	ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या:	120 / 2025
निर्णय दिनांक:	13.04.2026
जीसीएमएस सं0:	2025 / 261
दायर दिनांक:	22.07.2026

1. गुलाब कंवर पुत्री स्व० टीकूसिंह पत्नी नाथूसिंह जाति राजपूत उम्र 70 वर्ष निवासीनी ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ जिला चुरु हॉल निवासीनी ग्राम हेमासर आथुणा बालेरा तहसील बीदासर जिला चुरु राजस्थान

...वादीनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सुजानगढ

..प्रतिवादी

उपस्थित

1. वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम सैनी
2. प्रतिवादी पैरोकार राज तहसीलदार सुजानगढ़।

दावा अन्तर्गत धारा–88 काश्तकारी
अधिनियम व सपठित धारा 136 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम, 1956

—:निर्णय:—

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आबसर पटवार हल्का आबसर तहसील सुजानगढ में खेत खसरा नम्बर 537 / 194 रकबा 7.5490 हैक्टेयर संयुक्त व अविभाजित खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है, जिसमें वादीनी का 1 / 5 हिस्सा है जो वादीनी के कब्जे, अधिकार, उपयोग व उपभोग के है। वादीनी के पिता टीकुसिंह के स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त भुमि का नामान्तरण वादीनी व उसके परिवार के विरासतन दर्ज हुआ, जिसमें वादीनी का घर में बोलता नाम सलाब लिखा दिया गया, जबकि वादीनी का सही व दस्तावेजी नाम गुलाब कंवर है, जो कि उनके समस्त दस्तावेज व आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पासबुक व अन्य सभी दस्तावेज आदि में गुलाब कंवर ही दर्ज है। उक्त नाम संशोधन हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय को दिनांक 25.06.2025 को निवेदन किया पर उन्होंने उक्त

संशोधन करने से मना कर दिया तथा कहा कि जाओ कोर्ट से ऑडर लाओ तब संशोधन होगा। वादीनी को सरकारी लाभार्थ हेतू उक्त नाम को संशोधन करवाने की आवश्यकता है। वादीनी के नाम को संशोधित नहीं किया गया तो वादीनी को भविष्य मे सरकारी व गैर सरकारी सहायता नहीं मिलेगी जिससे वादीनी को अपूर्तीय क्षति होगी। वादिनी ने निवेदन किया कि रोही ग्राम आबसर पटवार हल्का आबसर तहसील सुजानगढ में खेत खसरा नम्बर 537/194 रकबा 7.5490 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में वादीनी के नाम सलाब के स्थान पर गुलाब कंवर दर्ज किये जानें के आदेश राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में सलाब दर्ज है जबकि वादिनी के के दस्तावेजों में नाम गुलाब कंवर दर्ज है। सलाब व गुलाब कंवर दोनों एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में गुलाब कंवर दुरूस्त करने की अभिषंशा की गयी ।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार, मौका रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में सही नाम गुलाब कंवर दर्ज है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत हाता है।

—:आदेशः—

वाद वादीनी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके ग्राम आबसर पटवार हल्का आबसर तहसील सुजानगढ में खेत खसरा नम्बर 537/194 रकबा 7.5490 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का नाम सलाब के स्थान पर गुलाबकंवर दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

ज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

जलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

गुलाब कंवर बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत डिक्री कृषि भूमि दुरस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा न0 120 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस, हाजरी श्री घनश्याम सैनी, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को देशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके ग्राम आबसर पटवार हल्का आबसर तहसील जानगढ में खेत खसरा नम्बर 537/194 रकबा 7.5490 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का नाम लाब के स्थान पर गुलाबकंवर दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 **माह 04 2026**

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पबकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।